



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022023-243701
CG-DL-E-17022023-243701

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 723]
No. 723]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2023/माघ 28, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2023/MAGHA 28, 1944

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2023

का.आ. 753(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम 1957 (1957 का 61) की धारा 57 की उपधारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवास सम्पदा का प्रबंधन और निपटान) विनियम, 1968 में पुनः संशोधन करने के लिए एतत् द्वारा निम्नलिखित विनियम तैयार किए हैं:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-** (I) इन नियमों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवास सम्पदा का प्रबंधन और निपटान) संशोधन विनियम, 2022 कहा जा सकता है।

(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवास सम्पदा का प्रबंधन और निपटान) विनियम, 1968 (इसके बाद उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित), में विनियम 2 में:-

(i) अनुच्छेद (4) और (4 क) के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को विकल्प माना जाएगा, अर्थात्:-

'(4) "आबंटिती" का अर्थ है, एक व्यक्ति या संस्था, जिसे कोई सम्पत्ति विक्री द्वारा आबंटित की गई है।

(ii) (5) और (5 क) अनुच्छेदों के लिए, निम्नलिखित अनुच्छेद को विकल्प माना जाएगा। अर्थात्:-

‘(5) “आवेदक” का अर्थ है एक व्यक्ति अथवा संस्था, जिसने अपने या अपने प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर के अथवा उस पर अंगूठे का निशान लगाकर वास्तविक मोड के माध्यम से अथवा ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन भेजा हो।

(iii) अनुच्छेद (16) और (16 क) के लिए, निम्नलिखित अनुच्छेद को विकल्प माना जाएगा, अर्थात्:-

‘(16) “पात्र व्यक्ति” का अर्थ है एक व्यक्ति अथवा संस्था, जो योजना की शर्तों और इन विनियमों के अनुसार संपत्ति खरीदने का हकदार हो।

(iv) अनुच्छेद (30 क) के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

‘(30 ख) “विकासशील क्षेत्र” का अर्थ है एक ऐसा क्षेत्र अथवा स्थान जहाँ किसी आवासीय योजना के अंतर्गत 25 प्रतिशत से अधिक फ्लैटों अथवा आवासीय इकाइयों की बिक्री न हुई हो।

‘(30 ग) “न बिके हुए फ्लैट” का अर्थ है ऐसे फ्लैट, जो किसी योजना की समाप्ति के बाद भी किसी खरीदार द्वारा खरीदे नहीं गए हैं और इसमें सरेंडर किए गए और रद्द किए गए फ्लैट भी शामिल होते हैं।

‘(30घ) “संस्था” (एंटीटी) से अभिप्राय

(क) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, जिसमें उनके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अधीनस्थ या संबद्ध शामिल हैं।

(ख) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा गठित और

(ग) स्थानीय निकाय:

(30ड) “स्कीम की समाप्ति” से अभिप्राय स्कीम के ड्रा के आयोजन से छह महीने से है:

3. उक्त विनियमों में, विनियम 7 और 7(क) के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“7. “आबंटन की पात्रता- प्राधिकरण के हाउसिंग एस्टेट्स में एक आवासीय इकाई या फ्लैट एक ऐसे व्यक्ति को आबंटित किया जाएगा, जिसके या उसके पति/पत्नी या अविवाहित संतान सहित उनके आश्रित संबंधियों के पास पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से फ्री होल्ड या लीज होल्ड के आधार पर, दिल्ली, नई दिल्ली और दिल्ली छावनी के शहरी क्षेत्र में संचयी रूप से 67 वर्ग मीटर से अधिक का आवासीय प्लॉट/क्षेत्र या कुल मिलाकर 67 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले फ्लैट/निर्मित आवास/आवास है:

बशर्ते कि इस विनियम में ऐसा कुछ भी ना हो जो किसी व्यक्ति अथवा संस्था को विकासशील क्षेत्र में स्थित बिना बिके हुए फ्लैट अथवा आवासीय इकाई के आबंटन को बिक्री के माध्यम से प्रभावित करे।

4. उक्त विनियमों में, विनियम 28 के लिए, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“28. ड्राँ ऑफ लॉट्स - पात्र आवेदकों को संपत्ति का आबंटन समिति की निगरानी में ड्रा ऑफ लॉट्स द्वारा किया जाएगा और जहाँ पात्र आवेदकों की संख्या संपत्तियों की संख्या से अधिक होती है, वहाँ उपलब्ध संपत्तियों की संख्या प्लस 100 प्रतिशत की सीमा तक लॉट्स निकाला जाएगा, यदि उपलब्ध हो, यह प्रतीक्षा सूची के रूप में काम करेगा।

5. उक्त विनियमों में, विनियम 28 के बाद, निम्नलिखित विनियम को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

“28(क). विनियम 28 में विनिर्दिष्ट माध्यम के अतिरिक्त, विकासशील क्षेत्र में बिना बिके हुए फ्लैटों के मामले में, पात्र आवेदकों को संपत्ति का आबंटन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ आधार पर ऑनलाइन माध्यम से किया जाए।

[फा. सं. एफ/1/0027/2019/कोर्ड/-हाउसिंग (कोआर्डिनेशन)]

डी.सरकार, आयुक्त एवं सचिव

टिप्पणी: प्रमुख विनियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में सं.का.आ..1457(1) दिनांक 27.04.1968 द्वारा प्रकाशित किए गये थे और बाद में सं. का.आ. 1699(अ) दिनांक 25.07.2011 द्वारा संशोधित किए गये थे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th February, 2023

S.O. 753(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 57 of the Delhi Development Authority Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Delhi Development Authority (Management and Disposal of Housing Estates) Regulations, 1968, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These regulations may be called the Delhi Development Authority (Management and Disposal of Housing Estates) Amendment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Delhi Development Authority (Management and Disposal of Housing Estates) Regulations, 1968 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2,-

(i) for clauses (4) and (4a), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(4) “Allottee” means a person or an entity to whom a property has been allotted by way of sale;’;

(ii) for clauses (5) and (5a), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(5) “Applicant” means a person or an entity who has sent an application through physical mode putting his or her or its representative’s signature or affixing thumb impression thereon or through online mode;’;

(iii) for clauses (16) and (16a), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(16)“Eligible person” means a person or an entity who is entitled to purchase the property in accordance with conditions of the scheme and in terms of these regulations;’;

(iv) after clause (30a), the following clauses shall be inserted, namely:-

‘(30b) “Developing area” means an area or locality wherein more than 25 per cent. Flats or dwelling units under a housing scheme remain unsold;’;

‘(30c) “Unsold flats” means flats which could not find buyer after closing of a scheme and shall also include surrendered or cancelled flats;’;

‘(30d) “Entity” means,-

a) the Central Government or State Government or Union territories administration including subordinate or attached offices under their administrative control;

b) autonomous body and public sector undertakings constituted by the Central Government or State Government or Union territories administration or partly by the Central Government and partly by one or more States Government or Union territories administration; and

c) local bodies;’;

‘(30e) “Closing of Scheme” means six months from the conduct of draw of lots of the scheme;’.

3. In the said regulations, for regulations 7 and 7(a), the following regulation shall be substituted, namely:-

“7. “Eligibility of Allotment.- A dwelling unit or flat in the Housing Estates of the Authority shall be allotted to a person who or his/her spouse or any of his/her dependent relations including unmarried children who do not own in full or in part on freehold or lease hold basis, a residential plot/s’ area exceeding 67 square metres cumulatively or flat/s’ or build up house/s’ having carpet area exceeding 67 square metres cumulatively in the urban area of Delhi, New Delhi and Delhi Cantonment:

Provided that nothing in this regulation shall affect allotment of unsold flat or dwelling unit located in developing area to any person or entity by way of sale.”.

4. In the said regulations, for regulation 28, the following regulation shall be substituted, namely:-

“28. Draw of Lots.- The allotment of property to eligible applicants shall be made by draw of lots under supervision of the Committee and where the number of eligible applicants exceeds the number of properties, lots shall be drawn to the extent of the number of properties available plus 100 per cent. thereof, if available serve as a waiting list.”.

5. In the said regulations, after regulation 28, the following regulation shall be inserted, namely:-

“28(a). In addition to the mode specified in regulation 28, in case of unsold flats in a developing area, the allotment of property may be done through online mode on ‘First Come First Serve’ basis to the eligible applicants.”

[F. No. F/1/0027/2019/CORD/-Housing (Coordn.)]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1457(E) dated the 27.04.1968 and subsequently amended vide number S.O. 1699(E) dated 25.07.2011.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032023-244120
CG-DL-E-03032023-244120

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1004]
No. 1004]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2023/फाल्गुन 12, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2023/PHALGUNA 12, 1944

दिल्ली विकास प्राधिकरण
शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2023

का.आ. 1045(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का. आ. 753 (अ) दिनांक 17 फरवरी 2023 सं. 723 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के हिंदी भाग में क्रम संख्या 3 के स्थान पर अब निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

3. उक्त विनियमों में, विनियम 7 और 7(क) के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“7. “आबंटन हेतु पात्रता- प्राधिकरण के हाउसिंग एस्टेट्स में आवासीय इकाई या फ्लैट ऐसे व्यक्ति को आबंटित किया जाएगा, जिसके पास अथवा उसके पति/पत्नी या अविवाहित संतान सहित उनके आश्रित संबंधियों के पास पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से फ्री होल्ड या लीज होल्ड आधार पर, दिल्ली, नई दिल्ली और दिल्ली छावनी के शहरी क्षेत्र में संचयी रूप से 67 वर्ग मीटर से अधिक का आवासीय प्लॉट/क्षेत्र या कुल मिलाकर 67 वर्ग मीटर से अधिक कुरसी क्षेत्रफल वाले फ्लैट/निर्मित आवास नहीं है/हैं:

बशर्ते कि इस विनियम में ऐसा कुछ भी ना हो जो किसी व्यक्ति अथवा संस्था को विकासशील क्षेत्र में स्थित बिना बिके हुए फ्लैट अथवा आवासीय इकाई के आबंटन को बिक्री के माध्यम से प्रभावित करे।

[फा. सं. एफ/1/0027/2019/कोर्ड/हाउसिंग(कोआर्डिनेशन)]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

1470 GI/2023